न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास अनिल गुप्ता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 07/17 राजस्व अपील 2017/00197

श्रीमती रेंवती देवी पत्नी श्री फूसराज जाति महनोत निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब ना म :

स्टेट जरिए तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट,1956

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री नरसाराम जाखड उपस्थित।
2. स्टेट की तरफ से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर (राज.)

: निर्णय :

दिनांक 09.04.2018

1. अपीलान्टा द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल संख्या 244 दिनांक 08.7.16 जिसके तहत अपीलान्ट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र से खरीद शुदा भूमि वाके ग्राम चक 6 जे.एम.डी. के मुरब्बा नम्बर 108/21 व मुरब्बा नम्बर 108/22 की तादादी 6.14 बीधा भूमि का नामान्तरण गैर कानूनी तरीके से खारिज किया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत होने पर सबजेक्ट—टू—लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

2. उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07.8.2014 को चक 6जे.एम.डी. के मुरब्बा नं. 108/21 के किला नम्बर 23 ता 25 = 2.01 बीधा व मुरब्बा नम्बर 108/22 के किला नम्बर 3 ता 5, 7,8 = 4.13 बीधा कुल तादादी 6.14 बीधा भूमि सुनील कुमार पुत्र मोहनलाल जाति पाण्डिया व आनन्द कुमार पुत्र सांवरलाल कच्छावा से क्रय कर मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय—पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन करने पर अदालत मातहत ने यह लिख कर की क्रेता की जाति स्पष्ट नहीं है नामान्तरकरण खारिज कर दिया। अपीलान्टा की जाति महनोत है, जो स्पष्ट रूप से विक्रय पत्र में अंकित की गई है। महनोत जाति बनिया जाति में आती है। उपरोक्त वर्णित भूमि के क्रेता और विक्रेता दोंनो सामान्य जाति के है। अतः अपीलाधीन आदेश से नामान्तरण खारिज करना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्टा को कोई नोटिस नहीं दिया गया व ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलान्टा द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, इसलिए डिले कण्डोन करते हुए अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जा कर नामान्तरण अपीलान्टा के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2017/00197

4. इसके खण्डन में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट के विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर पटवारी द्वारा पेश कर दिया गया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा मुताबिक बैयनामा व संशोधित डीड के अनुसार अंकन नहीं होने व क्रेता की जाति स्पष्ट नहीं होने के कारण नामान्तरण खारिज किया गया है। क्रेता की जाति महनोत स्पष्ट नहीं है कि किस संवर्ग में आती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मन्न किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जहां तक अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का संबंध है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ मियाद माफी का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, परन्तु इसके काऊन्टर में कोई आपत्ति अथवा शपथ–पत्र रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से प्रस्तुत ना होने के कारण अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्टा द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड में महनोत जाति अंकित है। उप–सरपंच ग्राम पंचायत उदासर द्वारा दिनांक 16.9.16 को जारी पत्र में महनोत जाति जैन समुदाय के अंतर्गत आती है का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित नहीं होने के कारण साक्ष्य में पढे जाने योग्य नहीं है। फिर भी प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी रिमाण्ड की जाना हम न्यायोचित पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर दिनांक 08.7.16 अपास्त करते हुए अपील अपीलान्ट इस निर्देश के साथ तहसीलदार (भू.अभिलेख), बीकानेर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टा से प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त कर 15 दिवस में विधिसम्मत आदेश पारित करें। अपीलान्ट को भी हिदायत दी जाती है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर समस्त प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. निर्णय आज दिनांक **09.04.2018** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/18
(अनिल गुप्ता)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर (राज.)